पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०– 10 / 2013 :–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 998 दिनांक– 19.02.2013 द्वारा श्री बासुदेव प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप उपलब्ध कराते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई –

"निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिकांश दीवार क्षतिग्रस्त तथा क्रेक पाया गया है, जो प्रथम दृष्टया श्री बासुदेव प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग की लापरवाही घटिया सामग्रियों का उपयोग एवं Mis-use of Public Money को दर्शाता है।

विभागीय पत्रांक–556(5) स्वा० दिनांक–31.08.2012 के द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत नव निर्मित सिविल सर्जन कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के विरूद्ध मुख्य अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा की गई निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फोटो ग्राफ उपलब्ध कराते हुए दोषी कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अभियंताओं पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि भवन दो तल्ले का Frame Structure Type का है। भवन के आधे भाग दक्षिण तरफ में भू–तल एवं प्रथम तल पर बने कमरों के दिवारों में Crack है। Column, Beam के साथ ईट की चिनाई Joint पर भी Crack हो गये है। Roof Terrace पर छत Crack दिखाई देता है। Parapet Wall, Outer Wall के साथ बनाये गये Duct Wall में भी कई जगहों पर Crack हो गये है। प्रथम तल पर Hall के छत का पलास्टर भी गिर गया है। छत पर जल जमाव भी देखा गया। इसमें जल निकासी के लिए Rain Water Pipe भी नहीं लगाया गया है। Portico पर भी जल जमाव देखा गया।"

सभी Crack Develop करने का मुख्य कारण Foundation का Settlement प्रतीत होता है। Foundation अर्थात् Casting, soil bearing capacity जहाँ पर Achieve करता है, उसके अनुसार नहीं कराया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार की लापरवाही के लिए इनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाय।"

2. उक्त आरोप की जाँच के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 581 दिनांक– 06.05.2014 द्वारा श्री बासुदेव प्रसाद के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–190 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक–168 दिनांक– 18.11.2014 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि– "इस आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य विभागीय स्तर से आरोपी पदाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता के रूप में कराया जा रहा था तथा Foundation का कार्य इनके द्वारा ही कराया गया था। फलतः इस भवन के निर्माण में जो Defect जाँच दल द्वारा पाये गये उससे संबंधित आरोप के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।"

4. जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री बासुदेव प्रसाद के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक– 6054 दिनांक– 11.12.2015 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई –

(i) सेवा से बर्खास्तगी

5. श्री बासुदेव प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब पर अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का मंतव्य/निर्णय प्राप्त किया गया। अभियंता प्रमुख–I द्वारा मंतव्य दिया गया कि इनके (श्री प्रसाद) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन सदृश/पुनरावृति मात्र है।

श्री प्रसाद के द्वारा न ही अपने बचाव हेतु कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही उनके द्वारा Portico पर जल जमाव एवं Foundation के Settlement के संबंध में आरोप का Technically खंडन ही किया गया है।

भवन का फोटोग्राफ भी नवनिर्मित भवन की जर्जर स्थिति को दर्शाता है।

अतः श्री बासुदेव प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकार योग्य है।

6. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा पुनः विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है तथा प्रमाणित आरोप के लिए श्री बासुदेव प्रसाद, कनीय अभियंता को एतद द्वारा निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :–

(i) सेवा से बर्खास्त

7. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक : 2409 राँची/दिनांक 31/05/18

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामला), झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–03 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/व्यैक्तिक द्वारा निवारण कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इनफोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची